न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–617 /2023 निर्णय दिनांक :–10.10.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. घीसालाल पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. शिवराज पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. फूला पुत्री कजोड़ जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. सन्तोष पुत्री कजोड़ जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
5. काली पुत्री कजोड़ जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
6. मंजू पुत्री कजोड़ जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
7. फोरया पुत्री कजोड़ जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
8. जमना पुत्री कजोड़ जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
9. मनभर पत्नी कजोड़ जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.

–अप्रार्थी गण–

उपस्थिति :–
पेरोकार सरकार

इकबालिया जवाब
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ता 9

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी कजोड़ पुत्र बख्तावरा जाति बैरवा को दिनांक 02.06.1984 को ग्राम डाबरकला में खसरा नम्बर 1014 मिन रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 568 रकबा 1.05 है0 दर्ज किया गया। उक्त गैर खातेदार को ग्राम डाबरकला खसरा नम्बर 568 रकबा 1.05 है0 मे से रकबा 1.03 है0 रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है। उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख0न0 2716/568 रकबा 0.02 किस्म जाव द्वितिय गैर खातेदार घीसालाल शिवराज फूला सन्तोष काली मंजू फोरया जमना पुत्रियां कजोड़ मनभर पत्नी कजोड़ के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आंवटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 मे अंकित भूमि मे सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 ने उपस्थित होकर न्यायालय मे उपस्थित होकर हस्ताक्षर कर आदेशिका पर लिखा कि हमें कोई आपति नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण पंजिका ग्राम डाबरकला के कॉलम संख्या 11 व 12 में कजोड़ पुत्र बख्तावरा चमार सा. देह गैर खातेदार ख. नं. 1014 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा दर्ज है। भू आवंटन सलाहकार समिति कैम्प मालेड़ा दिनांक 02.06.1984 से कजोड़ पुत्र बख्तावरा जाति चमार को सिवायचक भूमि ख. नं. 1014 में क्षैत्रफल 4 बीघा 2 बिस्वा के गैर खातेदारी हक पर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की जाती है। सुपुर्दगीनामा आवंटन भूमि सिंचाई चक रकबा में से दिनांक 22.09.84 से सुपुर्दगी दी गई। बाद भू–प्रबन्ध ख. नं. 1014 में क्षैत्रफल 4 बीघा 2 बिस्वा के नये ख. नं. 568 रकबा 1.05 है0 बनाये गये। जबकि 4 बीघा 2 बिस्वा का है0 मे परिवर्तन करने पर 1.03 है0 होते है अर्थात अप्रार्थीगण के खाते में 1.03 है0 के स्थान पर 1.05 है0 भूमि लगा दी गई, जो कि 0.02 है0 अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. डाबरकला व भू. अभि. नि. मालेड़ा के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2022 पर ख. नं. 2717/568 रकबा 0.50 है0 किस्म चाही 2,रकबा 0.53 है0 जाव 2 खातेदार व ख. नं. 2716/568 रकबा 0.02 गैर खातेदार, बनाकर अप्रार्थीगण जो आवंटी कजोड़ पुत्र बख्तावरा जाति चमार के जायज कायम मुकामान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है, को ख. नं. 2717/568 रकबा 0.50 है0 किस्म चाही 2,रकबा 0.53 है0 जाव 2 के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा ख. नं. 2716/568 रकबा 0.02 है0 भूमि आवंटन से 0.02 है0 अधिक होने से, गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। अतः ख. नं. 2716/568 रकबा 0.02 है0 भूमि को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली ने न्यायालय में प्रार्थना पेश किया है। अतः राजस्व दस्तावेजो का विवेचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आराजी ख. नं. 2716/568 रकबा 0.02 है0 भूमि वाके ग्राम डाबरकला तहसील देवली से गैर खातेदार अप्रार्थीगण का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली